Action Plan for Bonded-Labourers

2109. DR. M.N. DAS: Will the Minister of LABOUR be pleased to state:

(a) whether Government have formulated any Action plan to rescue bonded-labourers in different states of the country;

(b) if so, whether any concrete measures have been thought of for their rehabilitation and upliftment;

(c) if so, the details thereof; and

(d) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF LABOUR (DR. SATYANARAYAN JATIYA): (a) Yes, Sir. The Central Government has enacted the Bonded Labour System (Abolition) Act, 1976 which provides for identification, release and rehabilitation of bonded labourers. The Act provides for setting up of Vigilance Committees at District and Sub-Divisional level under the Chairmanship of District Magistrates and Sub-Divisional Magistrates respectivley, to monitor and review the incidence of bonded labour in their area on regular basis. These Vigilance Committees are empowered to rescue bonded labourers from their employers and take punitive steps, as per the Act.

(b) and (c) The Central Government has formulated a Centrally Sponsored Scheme for rehabilitation of bonded labour under which assistance upto the ceiling limit of Rs. 10,000/- is given to each released bonded labourer. The expenditure under the scheme is equally shared by Central and concerned State Governments on 50:50 basis. In addition to this, the State Govts. have been advised to suitably dovetail the Centrally Sponsored Scheme with other anti poverty and employment generation programmes like IRDP, JAY, JRY, TRYSEM, DWCRA, Special Component Plan/Sub Plan so as to Pool the resources for effective rehabilitation of bonded labourers.

(d) Question does not arise.

Recommendations of NCBC

2110. MISS MABEL REBELLO: Will the Minister of SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT be pleased to state;

(a) what are the aims and objects of National Commission for Backward Classes;

(b) what is the criteria being adopted by NCBC for sending its recommendations to Government;

(c) whether the recommendations sent by NCBC are ordinarily binding on the Government; and

(d) the number of recommendations of NCBC rejected by Government and the grounds thereof?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT (SHRIMATI MANEKA GANDHI): (a) The National Commission for Backward Classes created under the NCBC Act, 1993 has the object to examine requests for inclusion of any class of citizens as backward class in the central list of OBCs and hear complaints of over-inclusion or under-inclusion of any backward class in the lists and tender such advice to Central Government as it deems appropriate.

(b) The Commission has formulated guidelines for consideration of requests which include criteria covering social, educational and economic aspects of backwardness.

(c) Yes, Sir.

(d) No recommendation of the Commission has so far been rejected by the Government.

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और अल्पसंख्यकों के लिए कल्याण कार्यक्रम

2111. **श्री मुनव्वर हसन:** क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्तर प्रदेश और दिल्ली में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अल्पसंख्यक समुदायों के

कल्याण के लिए लागू की जा रही योजनाओं/कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार समय-समय पर इन कार्यक्रमों की समीक्षा करती है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी): (क) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों तथा अल्प-संख्यकों के लाभ के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की केन्द्रीय तथा केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं/कार्यक्रमों जिनको उत्तर प्रदेश तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सहित देश में कार्यान्वित किया जा रहा है, की सूची विवरण में दी गई है **(नीचे देखिये)**।

(ख) और (ग) कार्यान्वित की जा रही सभी योजनाओं की समीक्षा की गई है ताकि उनको अधिक अनुकूल, लचीला, उनकी कवरेज में विस्तार उपयोगी, मूल्य सूचकांक में हुए परिवर्तनों के अनुसार वित्तीय मानदंडों को संशोधित किया जा सके तथा लाभग्राहियों का बेहतर लक्ष्य प्राप्त किया जा सके। कुछ योजनाओं के संबंध में समीक्षा पूरी कर ली गई है और शेष योजनाओं की समीक्षा प्रगति पर है। तथापि, यह एक सतत प्रक्रिया है।

विवरण

अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अल्पसंख्यकों के उत्थान के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा देश में कार्यान्वित की जा रही कल्याण योजनाओं/कार्यक्रमों की सूची।

क्र० सं०	योजना का नाम

(1) अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए योजनाएं

1. अनुसूचित जाति की लड़कियों तथा लड़कों के लिए छात्रावास।
2. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों की योग्यता का उन्नयन।
3. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए कोचिंग तथा सम्बद्ध योजना।
4. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए पुस्तक बैंक।
5. अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना हेतु विशेष केन्द्रीय सहायता।
6. अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान।
7. राज्य एस०सी०डी०सी० के लिए शेयर पूंजी सहायता।
8. सफाई कर्मचारियों की मुक्ति और पुर्नवास की राष्ट्रीय योजना।
9. अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति।
10. अस्वच्छ व्यवसायों में लगे लोगों के बच्चों के लिए मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति।
11. अत्यंत निम्न साक्षरता स्तर की अनुसूचित जाति की लड़कियों के लिए विशेष शिक्षा विकास कार्यक्रम।
12. अनुसूचित जाति तथा अनुसुचित जनजाति आदि के छात्रों के लिए राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति योजना।
13. सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 तथा अनूसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 का कार्यान्वयन।
14. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम।
15. राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम।
16. अनुसूचित जातियों की अखिल भारत स्वरूप की परियोजनाओं को समर्थन।

2. अनुसूचित जनजातियों के कल्याण की योजनाएं

1. आदिवासी उपयोजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता।
2. अनूसूचित जनजाति की लड़कियों के लिए छात्रावास।
3. अनुसूचित जनजाति के लड़कों के लिए छात्रावास।
4. आदिम जनजातीय समूहों का विकास।
5. अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान।
6. भारतीय आदिवासी सहकारी विपणन और विकास परिसंघ लि० में निवेश।
7. ट्राइफेड को मूल्य सहायता।
8. आदिवासी उप योजना क्षेत्रों में आश्रित स्कूलों की स्थापना।
9. आदिवासी क्षेत्रों में महिलाओं के साक्षरता विकास के लिए कम साक्षरता वाले पॉकेट्रों में शैक्षिक परिसर।

10. आदिवासी क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण।
11. ग्रामीण अन्न बैंक।
12. विस्थापित जनजातीय परिवारों का पुनर्वास।
13. संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अन्तर्गत अनुदान।
14. सूक्ष्म वन उत्पादन प्रचालनों के लिए राज्य आदिवासी सहकारी निगमों को सहायता अनुदान।
15. अनुसंधान और प्रशिक्षण।

3. अल्पसंख्यकों के कल्याण की योजनाएं

1. आर्थिक मानदंड के आधार पर कमजोर वर्गों के लिए परीक्षा पूर्व कोचिंग।
2. राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम।
3. अल्पसंख्यक बहुल जिलों में बहु-क्षेत्रीय विकास योजनाएं तैयार करना।
4. शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए अल्पसंख्यकों के लिए क्षेत्र गहन कार्यक्रम।
5. मदरसा और मकताब का आधुनिकीकरण।
6. समुदाय पोलीटेकनीक की योजना।
7. केन्द्रीय वक्फ परिसर और मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान को क्रमशः सामान्य रूप से अन्यों और विशेष रूप से अल्पसंख्यक व्यक्तियों के शैक्षिक विकास के लिए योजनाओं और शहरी वक्फ सम्पत्तियों के विकास की उनकी योजना को कार्यान्वित करने के लिए अनुदान।

Permanent Office for Dr. Ambedkar Foundation

2112. SHRI BANGARU LAXMAN: Will the Minister of SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT be pleased to state:

(a) whether Dr. Ambedkar Foundation has sought permanent allotment of Bungalow No. 25, Ashoka Road, New Delhi for housing the office of Dr. Ambedkar Foundation as requested by its Governing Body on 14th September, 1997;

(b) if so, what action has been taken in this regard; and

(c) what arrangement has been made for providing a permanent office to Dr. Ambedkar Foundation?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT (SHRIMATI MANEKA GANDHI): (a) Yes, Sir.

(b) and (c) Matter has been taken with the M/O Urban Affairs and Employment for permanent allotment for the Office of Dr. Ambedkar Foundation.

उत्तर प्रदेश के पिछड़े क्षेत्रों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए योजनाएं

2113. **श्रीमती मालती शर्मा:**
प्रो. रामबख्श सिंह वर्मा:

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार द्वारा देश में विशेषकर उत्तर प्रदेश के पिछड़े क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उत्थान के लिये बहुत सी कल्याण योजनाएं लागू की जा रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान इन योजनाओं के क्रियान्वयन के लिये कितनी राशि जारी की गई और कितनी राशि खर्च की गई; और

(घ) वर्ष 1999-2000 के दौरान इस उद्देश्य हेतु कितनी राशि खर्च किये जाने का विचार है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) (क) जी, हां। देश में और उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उत्थान के लिए बहुत सी कल्याण योजनाएं लागू की जा रही है। केवल उत्तर प्रदेश के पिछड़े क्षेत्रों के लिए कोई विशिष्ट योजना नहीं है।

(ख) से (घ) अपेक्षित ब्यौरा संलग्न विवरण I और II में दिया गया है।